



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 5, 2023

No. F. 2(20)Vidhi/2/2023.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 2nd day of September, 2023 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2023

(Act No. 23 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 2nd day of September, 2023)

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 48, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In section 48 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (2) the following new sub-section shall be added, namely:-

“(3) Any person, company or government entity involved in the setting up of a power plant based on renewable energy on its land may submit a proposal to the State Government to exchange any parcel of land in its possession as a tenant and adjacent to the land used for setting up of a power plant, with any parcel of government land falling within the land used for setting up of a power plant. The State Government may on examining such proposal, order for exchange of parcel of government land with the land offered to be exchanged by such person company or government entity:

Provided that the land to be exchanged with the government land should be equivalent or higher in market value as determined by competent authority.

Explanation.- “market value” means the market value as defined in clause (xxiii) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999).”.

3. Amendment in section 251-A, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In sub-section (1) of section 251-A of the principal Act, after the existing expression “widen an existing way is granted” appearing at the end and before the existing punctuation mark “.”, the expression “or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land” shall be inserted.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 5, 2023

संख्या प.2(20)विधि/2/2023.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान टेनेन्सी (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2023 (एक्ट नं. 23 ऑफ 2023)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 23)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 48 का संशोधन.-** राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 48 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(3) नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित किसी शक्ति संयंत्र को, अपनी भूमि पर स्थापित करने में अंतर्वलित कोई व्यक्ति, कम्पनी या सरकारी इकाई राज्य सरकार को शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के पार्श्वस्थ और अभिधारी के रूप में उनके कब्जे में किसी भूमि के खण्ड को, शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के भीतर आने वाली सरकारी भूमि के किसी खण्ड के साथ विनिमय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव का परीक्षण करने पर, ऐसे व्यक्ति

कम्पनी या सरकारी इकाई द्वारा विनिमय किये जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के साथ सरकारी भूमि के खण्ड के विनिमय के लिए आदेश कर सकेगा:

परंतु सरकारी भूमि के साथ विनिमय की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित बाजार मूल्य के समान या उनसे उच्चतर होना चाहिए।

स्पष्टीकरण.- “बाजार मूल्य” से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (xxiii) में परिभाषित बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

3. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 251-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 251-क की उप-धारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर,” प्रतिस्थापित की जायेगी।

जान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।